डेवलपमेंट द्वारा काफी ध्यान दिया गया है और अपने एक अध्ययन में इनके उत्पादन को बढ़ाने एवं अनुसंधान पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अनुसार अनुसंधान की बेहतर प्रक्रिया विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अत: माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वे इन जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने तथा अनुसंधान की कार्यवाही को विकसित करने के लिए बहुराष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र की दवा कम्पनियों से अनुबंध करा करके ही उसे लाइसेंस आदि तथा अन्य सुविधायें प्रदान करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो उससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करें एवं सख्ती बरतने पर गौर करें।

(vii) Need for a legislation to provide Compensation to those kept in jails for a period larger than pronounced by courts

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष जी, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विभिन्न जेलों में सजा-अवधि से काफी अधिक दिनों तक कैदियों के रखे जाने के समाचार मिल रहे हैं। काफी निर्दोष लोगों को भी पैसा एवं पैरवी के कारण जेल की यातनायें सहनी पड़ती हैं। संसार के दूसरे भागों की तुलना में भारत में आदमी एवं जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। गरीब का जीवन तो कीड़े एवं जानवर से भी बदतर है। जिस मुकदमे में एक दिन की न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाती उसी मुकदमे में कई सालों तक जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इन कुव्यवस्थाओं के तीन कारण हैं। एक तो महंगा न्याय तथा दूसरा न्याय मिलने में विलम्ब। तीसरा कारण हैं सरकार को कोई हरजाना नहीं देना पड़ता है।

अत: सरकार से मांग है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना वजह जेल में रखा जाता है या सजा की जितनी अवधि है उससे अधिक अवधि तक रखा जाता है तो सरकार उस व्यक्ति को हरजाना दे। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक भी प्रस्तुत करे। सरकार से यह भी मांग है कि वह मुफ्त न्याय एवं जल्द न्याय की व्यवस्था करें।

(viii) Need for strict implementation of Constitutional provisions for reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Schools/ Colleges and jobs.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष जी, देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए घोषित सरकारी आरक्षण नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में घोषित आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। सरकारी सेवाओं में वर्ग एक दो, तीन और चार के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस पर दोहरी मार पड़ती है। आम लोगों की धारणा है कि उसे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और वस्तुस्थिति यह है कि उसे तथाकथित विशेष सुविधायें नहीं मिल रही हैं। शिक्षा में आरक्षण प्रवेश के लिए है न कि परीक्षा के मूल्यांकन में है। प्रवेश में आरक्षण का कारण उसकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विषम स्थितियां हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश का आधार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इसके लिए भी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही तो कारण है। स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण नहीं किया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति को पूरे तौर पर क्रियान्वित करने के लिए सक्षम कानून बनाया जाये।

(ix) Damage to sugarcane crop by insects in various parts of the country and need for immediate measures to save the crops.

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अंतर्गत मैं सदन और